सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18/5/18 अतिरिक्त अपर कलक्टर उपस्थित। पत्रावली
बाबत बहस जाब 21/5/18 को पेश हो।

21.05.2018 अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट में राजीनामा हो गया है, इसलिए वे अपील को आगे चलना नहीं चाहते है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने एवं भविष्य में विचाराधीन ईन्तकाल संख्या 182 दिनांक 04.02.1992 की दुबारा अपील नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण, हस्तगत अपील नोटप्रैस में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Not Pressed
21/5/18